<u>पंजीकृत डाक</u>

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–9
लखनऊः दिनांक 23/02/2024

कार्यालय आदेश

उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के श्री यशोदानन्द त्रिपाठी, तत्कालीन अवर अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद की तैनाती अवधि में प्राधिकरण के प्रर्वतन जोन–6 के अन्तर्गत वैशाली आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या–706, सेक्टर–5, वैशाली, गाजियाबाद का प्राधिकरण पर स्वीकृत मानचित्र से अधिक निर्माण कार्य कराये जाने में निर्माणकर्ता से दुरभिसंधि करते हुए अवैध निर्माण को बढ़ावा देने हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के दृष्टिगत श्री त्रिपाठी के विरूद्ध शासन के कार्यालय आदेश संख्या–I/109075/2021 (File No.8-9099/62/2019) दिनांक 20.10.2021 द्वारा उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली–1985 के नियम–33 सहपठित उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के नियम–7 के अन्तर्गत विभागीय जाँच की कार्यवाही संस्थित करते हुए अपर आयुक्त (प्रशासन), मेरठ मण्डल, मेरठ को पदनाम से जाँच अधिकारी नामित करते हुए आरोप पत्र निर्गत किया गया।

2– जांच अधिकारी/अपर आयुक्त (प्रशासन), मेरठ मण्डल, मेरठ के पत्र दिनांक 16.07.2022 द्वारा श्री त्रिपाठी के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों के सम्बन्ध में आरोपवार सुस्पष्ट जॉच आख्या शासन को उपलब्ध करायी गयी, जिसमें श्री त्रिपाठी पर अधिरोपित आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया। जांच अधिकारी की जांच आख्या में आरोपों के प्रमाणित न पाये जाने के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त श्री यशोदानन्द त्रिपाठी, तत्कालीन अवर अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद, सम्प्रति अवर अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के विरूद्ध शासन के कार्यालय आदेश संख्या–I/109075/2021 (File No.8-9099/62/2019) दिनांक 20.10.2021 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना दण्ड के समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ0 नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांकः तदैव।</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जांच अधिकारी/अपर आयुक्त (प्रशासन), मेरठ मण्डल, मेरठ।
2. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को सम्बन्धित अभियन्ता की **एक अतिरिक्त प्रति** सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया श्री यशोदानन्द त्रिपाठी, अवर अभियन्ता को तामील कराकर तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
4. श्री यशोदानन्द त्रिपाठी, अवर अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
5. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 को श्री यशोदानन्द त्रिपाठी की चरित्र पंजिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली में रखने हेतु।
6. संबंधित समीक्षा अधिकारी को कम्प्यूटर में जाँच की सूचना को अद्यतन किये जाने हेतु।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(डॉ0 नितिन रमेश गोकर्ण)

अपर मुख्य सचिव।